न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2014 पुनरीक्षण

1 गायत्रीबाई पुत्री कन्हैयालाल पत्नी परमाल सिंह मीना
निवासी ग्राम– नलखेंडा तहसील चाचोडा जिला–गुना

2. गीताबाई पुत्री कन्हैयालाल पत्नी हरस्वरूप मीना
निवासी ग्राम उगोविन्दपुरा तहसील राघौगढ जिला–गुना

3. ओमवतीबाई पुत्री कन्हैयालाल पत्नी ओमप्रकाश मीना
निवासी ग्राम–महेशपुरा तहसील–चाचौडा जिला–गुना

विरूद्ध

1 मनजीत पुत्र नारायण सिंह जाति मीना
निवासी ग्राम डोंगर

2. सचिन पुत्र मोहन सिह जाति मीना अल्पवयस्क

3. अभिनन्दन पुत्र मोहन सिह अवयस्क द्वारा संरक्षक
श्रीमती विनिताबाई पत्नी मोहन सिह मीना निवासीग्राम
डोंगर तहसील राधौगढ जिला गुना (म.प्र.)

4. पटवारी हल्का नं.26 ग्राम हुसैनपुर तहसील राघौगढ
जिला गुना (म.प्र.)

13/02/2014

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 508–दो / 14 जिला मुरैना

	कार्यवाही तथा आदेश	
6-3-14	प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 09 / अपील / 13–14 में पारित अतरिम आदेश दिनांक 10–2–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गइ है । उक्त आदेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदक द्वारा पंजीकृत वसीयत के आधार पर प्रस्तुत अपील को पंजीबद्ध किया जाकर दोनो पक्षों को सुनने के उपरांत अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का कियान्वयन तथा भूमि के विक्रय एव बैंक मे बधक किए जाने की कार्यवाही को आगामी दिनाक 10–3–14 तक स्थगित किया गया है ।	
	2– प्रकरण म आवेदक अधिवक्ता का यह कहना है कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अधिकारिता रहित है । विचारण न्यायालय द्वारा मृतक भूमिस्वामी के प्राकृतिक उत्तराधिकारियों का नामातरण किया गया है । अनावेदको द्वारा एस.डी.ओ. के समक्ष अपील की अनुमति हेतु कोई आवेदन नही किया था जब आवेदको ने इस सबंध मे आपत्ति कि तब आवेदन दिया गया है इसलिए उनके समक्ष प्रस्तुत अपील प्रचलन योग्य नही है । अपील दिनाक 13–1–14 को पेश की गई तथा अनुमति हेतु आवेदन 10–2–13 को दिया गया है अत. अपील 10.2.13 को पेश की होना माना जायेगा । यह भी कहा गया कि अपील समयबाधित है जिसमे उक्त आपत्तियो का निराकरण के पूर्व स्थगन नहीं दिया जा सकता ।	
	3– अनावेदक अधिवक्ता द्वारा आवेदक अधिवक्ता के तर्को का खडन करने हेतु कहा गया कि अनावेदक के पक्ष मे मृतक भूमिस्वामी द्वारा पंजीकृत वसीयत की गइ है । विचारण न्यायालय द्वारा बिना उन्हे सुनवाइ का अवसर दिए आदेश पारित किया है जबकि वे हितधारी एवं आवश्यक पक्षकार है । अत अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील समयसीमा मे है । अनुविभागीय अधिकारी ने स्थगन आदेश उभयपक्ष को सुनने के उपरात	

पारित किया है । प्रकरण का निराकरण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा गुणदोष पर किया जाना है जहा आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है । आवेदकगण जान बूझकर प्रकरण को लंबित रखना चाह रहे हैं । यह भी कहा गया कि वे हितबद्ध एव आवश्यक पक्षकार है इसलिए उन्हें अनुमति हेतु आवदन प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है फिर भी उनके द्वारा अनुमति हेतु आवेदन दिया गया है ।

4- अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5- उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओ के तर्कों पर विचार किया गया एव अभिलेख का अवलोकन किया । इस प्रकरण मे यह स्पष्ट है कि आवेदक के पक्ष में मृतक भूमिस्वामी द्वारा पंजीकृत वसीयत की गई है. इस कारण वह आवश्यक एव हितबद्ध पक्षकार है । तहसीलदार द्वारा उसे बिना सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया गया है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उभयपक्ष को सुनने के उपरांत अपील को ग्राह्य कर एव स्थगन आदेश जारी कर कोई विधिक त्रुटि नहीं की है । प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर अभी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किया जाना है, जहा आवेदको को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है । माननीय उच्च न्यायालय एव माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनेक प्रकरणों में यह व्यवस्था दी है कि पक्षकारो को गुणदोष पर न्याय दिया जाना चाहिए तकनीकि आधार पर उन्हे न्याय से वंचित नहीं किया जाना चाहिए इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अनुविभागीय अधिकारी को यह निर्देश दिए जाते है कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर प्रकरण का विधिवत निराकरण गुणदोष पर 3 माह मे करे ।

(एम के सिंह)
सदस्य,
राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर